भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 183
गुरुवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन सुरक्षा से संबंधित जोखिम

***183. श्री वी. के. श्रीकंदन:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में विमान कंपनियों द्वारा तत्परता नहीं बरते जाने के कारण देश में विमानन सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डीजीसीए ने इस संबंध में सभी विमान कंपनियों को चेतावनी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त महानिदेशालय नागर विमानन संबंधी अपेक्षाओं (सीएआर), वैमानिकी सूचना संबंधी परिपत्रों (एआईसी) और अन्य अधिसूचनाओं के माध्यम से विमान उड़ान सुरक्षा, परिचालन दक्षता और समग्र विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर परिचालन विनियम जारी करता है और विमान कंपनियों द्वारा इन विनियमों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"विमानन सुरक्षा से संबंधित जोखिम" के संबंध में श्री वी. के. श्रीकंदन द्वारा पूछे गए दिनांक 12.02.2026 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 183 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) हितधारकों के साथ परामर्श करके नियमित रूप से विनियम बनाता है और उन्हें अद्यतित करता है तथा निगरानी तंत्र के माध्यम से उनके कार्यान्वयन की निरंतर मॉनिटरिंग की जाती है। अनुपालन न होने के मामलों में, डीजीसीए उल्लंघन के स्तर के अनुरूप उचित सुरक्षा प्रवर्तन कार्रवाई करता है, जिसमें चेतावनी पत्र जारी करना, जुर्माना लगाना और प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया प्रावधानों के अनुसार अन्य विनियामक उपाय शामिल हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय जागरूकता और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ कई बैठकों और परामर्शों के माध्यम से एयरलाइन प्रचालकों के साथ लगातार संपर्क में है।

नागर विमानन महानिदेशालय उड़ान सुरक्षा, परिचालन दक्षता और समग्र विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर), वैमानिकी सूचना परिपत्र (एआईसीएस) और अन्य अधिसूचनाओं के माध्यम से परिचालन संबंधी विनियम जारी करता है तथा प्रचालकों द्वारा इन विनियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है।

******